

वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4 के लिए प्रेस सार।

संसद के समक्ष प्रस्तुत : 12 अगस्त 2025

संघ के वित्त का अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2022-23 राजकोषीय समेकन का वर्ष था। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक जीडीपी में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई और नाममात्र जीडीपी में 14.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 11.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और कर प्राप्तियों में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई (राज्यों को हस्तांतरित करों के लेखांकन के बाद)। सकल कर प्राप्तियों (जीटीआर) में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2020-21 से बढ़ रही है; यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में 51.14 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 53.50 प्रतिशत हो गई। जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की बढ़ती हिस्सेदारी एक प्रगतिशील कर प्रणाली का संकेत है।

प्रत्यक्ष करों में, जीटीआर (26.46 प्रतिशत) और जीडीपी (तीन प्रतिशत) दोनों में इसके योगदान के संदर्भ में आयकर से राजस्व में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निगम कर विगत वर्ष (3.02 प्रतिशत) से बढ़कर 3.06 प्रतिशत हो गया और जीटीआर में इसके योगदान में विगत वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जीएसटी संग्रहण पिछले पांच वर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक रहा है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी के साथ-साथ सड़क और अवसंरचना उपकरण के संग्रहण में कमी आई। निगम कर और आयकर पर अधिभार के संग्रहण में उच्च वृद्धि के कारण अधिभार संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 207.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में गैर-कर राजस्व में 2.88 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण लाभांश और मुनाफे में कमी थी, जो कि मुख्य रूप से आरबीआई से अधिशेष लाभ की कम प्राप्ति के कारण था। विनिवेश से प्राप्त आय में विगत वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी व्यय विगत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। लेकिन जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है (वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.28 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.32 प्रतिशत हो गया)। भारत की संचित निधि से ऋण की अदायगी सबसे बड़ा आहरण था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय का 61.27 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय की निश्चित प्रतिबद्धताएं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 43.06 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38.83 प्रतिशत हो गई हैं, यह व्यय के गैर-प्रतिबद्ध शीर्षों पर व्यय के लिए अधिक गुंजाइश दर्शाता है। पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 16.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, इसका मुख्य कारण परिवहन और रक्षा सेवाएं रहीं। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में परिवहन क्षेत्र में 191.68 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह अर्थव्यवस्था में प्रमुख विकास गुणक के रूप में अवसंरचना क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है।

लोक ऋण में वृद्धि के कारण कुल देनदारियों में वृद्धि हुई। बाजार ऋणों का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय वर्ष 2025-26 में चुकाया जाना है, जिसके लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की उच्च दर के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय मापदंडों में सुधार हुआ। राजस्व और राजकोषीय घाटा दोनों संशोधित अनुमानों से कम थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा विगत वर्ष की तुलना में कम था, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के तहत कुल देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 12.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियां

आरक्षित निधि भारत के लोक लेखों का हिस्सा हैं। इन निधियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अलग रखा जाता है और आमतौर पर उपकरण या उगाही के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे संग्रह करने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और संसद की मंजूरी के साथ विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है। चार आरक्षित निधियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान जुटाई गई ₹2,41,220 करोड़ की प्राप्तियों में से केवल ₹344 करोड़ ही निधि में अंतरित किए गए। साथ ही, ₹6,065 करोड़ के संचित निवल क्रेडिट बैलेंस के साथ निष्क्रिय आरक्षित निधियों और जमा राशियों की निरंतरता का अर्थ है कि वे अपनी उपयोगिता खो चुके हैं और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क राज्य कैम्पा प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना था और राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच 90:10 के अनुपात में उनके संबंधित आरक्षित निधियों में जमा किया जाना था। हालाँकि, राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधियों में आगे वितरण के लिए धन को भारत के लोक लेखा में अंतरित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कोषों में संवितरण के लिए ₹20,082 करोड़ लंबित थे। लोक लेखों में दर्शाई गई शेष राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण की लेखा पुस्तकों में संबंधित आंकड़ों से कम थी, जिससे लोक लेखा में ₹864.56 करोड़ की संभावित कमी आई। (पैरा 3.1.1.4)

संघ सरकार के वित्त लेखों का विवरण 13 उच्चतम शीर्षों के अंतर्गत केवल निवल शेष राशि दर्शाता है, इस प्रकार निपटान के लिए लंबित वास्तविक शेष राशि को कम दिखाया गया है। उच्चतम लेखा (सिविल) में कम दिखाया गया शेष 61.99 प्रतिशत है और पीएसबी उच्चतम में 74.72 प्रतिशत है। इसी तरह, नकद शेष की नेटिंग करने के परिणामस्वरूप आरबीआई के साथ समन्वय के लिए लंबित नकदी शेष राशि को कम दिखाया गया, समन्वय के लिए कुल नकद शेष राशि ₹4,597.11 करोड़ है। उच्चतम शीर्ष 'चेक और बिल' के तहत निपटान हेतु लंबित ₹39,311 करोड़ में से आधे से अधिक डाक चेक से संबंधित थे।

(पैरा 3.2.1 और 3.4.4)

लेखांकन में ₹5,522 करोड़ की राशि के गलत वर्गीकरण के मामले थे। इनमें से ₹4,289 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे, शेष गलत वर्गीकरण कुल मिलाकर ₹1,233 करोड़ व्यय से संबंधित थे और अधिकतर वस्तु शीर्ष (₹1,023 करोड़) के स्तर पर हुए। ₹113.57 करोड़ की गारंटी फीस की कम वसूली और सात मंत्रालयों/विभागों के तहत कार्यरत 16 संस्थाओं से ₹669.13 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति देखी गई। (पैरा 3.4.1, 3.4.2 और 3.5)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य संस्थाओं से वसूली के लिए ₹8,69,479 करोड़ के ऋण और अग्रिम बकाया थे, जिनमें से वसूली के एरियर (मूलधन और ब्याज) ₹74,241 करोड़ थे। विभिन्न निधियों और जमा राशियों में प्रतिकूल शेष के 65 मामले थे, जिनमें से 41 मामले पांच वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे थे। (पैरा 3.2.3 और 3.2.2)

बजटीय प्रबंधन

संघ सरकार के विनियोग लेखों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,29,48,803.37 करोड़ के विनियोग को मंजूरी दी, जिसके प्रति सरकार ने ₹1,26,07,539.04 करोड़ का व्यय किया, जिससे कुल ₹3,41,264.33 करोड़ की बचत हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की संचित निधि से कुल प्रभारित प्रावधान ₹83,53,811.79

करोड़ था जिसके प्रति व्यय ₹83,81,271.25 करोड़ हुआ। कुल दत्तमत प्रावधान ₹45,94,991.58 करोड़ था और वास्तविक व्यय ₹42,26,267.79 करोड़ था जिससे ₹3,68,723.79 करोड़ की बचत हुई। (पैरा 4.1.1 और 4.1.2)

'ऋण अदायगी (पूँजीगत प्रभारित)' के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹53,871.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह अतिरिक्त व्यय राज्य सरकारों द्वारा वर्ष के अंत में किए गए आहरण के कारण हुआ। लघु/उप शीर्ष स्तर पर, निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण 10 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 18 अनुदानों/विनियोगों में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई, जिसके प्रति आठ अनुदानों/विनियोगों में वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी लगातार बचत हुई। इसके अलावा, 75 अनुदानों/विनियोगों के 102 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई।—(पैरा 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.1 एवं 4.2.2.2)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 13 अनुदानों के अंतर्गत 21 लघु/उप शीर्षों के संबंध में अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए, क्योंकि अंतिम व्यय संबंधित लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधानों से कम था। इसके अलावा, 15 अनुदानों/विनियोगों में 21 मामलों में ₹10 करोड़ से अधिक का पुनर्विनियोग अनुचित था, क्योंकि पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि किए गए लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त थे और पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह, सात अनुदानों में 10 लघु/उप शीर्षों से अनुचित तरीके से पुनर्विनियोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप शीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 4.3.1 और 4.4.1)